UPRN120030732022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर कानपुर देहात।

परिवाद संख्या -1770/2022

धर्मेन्द्र कुमार बनाम निखिल सचान निरंजन।

धारा- 138 N.I.Act

थाना-भोगनीपुर, कानपुर देहात।

<u>दिनांक 16-03-2023</u>

परिवाद पेश हुआ व अधिवक्ता परिवादी को तलबी के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।

संक्षिप्तः परिवाद का सार यह है कि **धर्मेन्द्र कुमार** की तरफ से **विपक्षी कुंवर सिंह निरंजन** के विरूद्ध परिवादी की देयता के अन्तर्गत अदा किया गया चैक नम्बर " 000003" कुल रुपये 6,00,000/- (छः लाख रुपये मात्र) दिनांकित 30-07-2022 बैंक आफ बड़ौदा शाखा मयूर बिहार पी०एच०-1 दिल्ली के अनादृत होने के बावत यह परिवाद प्रस्तुत किया है। परिवादी ने उक्त चैक अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिये अपने खाते में जमा किया तो " अपर्याप्त धनराशि" होने के कारण लौटा दिया गया। जिसकी रिटर्न मेमो परिवादी को क्रमशः दिनांक 28-10-2022 को प्राप्त हुई।

परिवादी ने अपने कथन की पुष्टि में धारा 200 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा धारा 202 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मूल चैक, मूल रिटर्न मेमो, नोटिस, रजिस्ट्री की रसीद , व आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किये हैं।

परिवाद एवं उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया। परिवाद के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि **परिवादी धर्मेन्द्र कुमार** के पक्ष में प्रस्तावित अभियुक्त **कुंवर सिंह निरंजन** द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित चैक उपरोक्त जारी हुआ है। Return Memo होने के कारण पत्र के परिशीलन से स्पष्ट है कि उपरोक्त चैक का भुगतान "Account Blocked" होने के कारण परिवादी को नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा नोटिस प्रस्तावित अभियुक्त को भेजा गया है तथा निर्धारित अवधि के अन्दर

परिवाद योजित किया गया है। अतः वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं परिवाद पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर प्रस्तावित **अभियुक्त कुंवर सिंह निरंजन** के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध बनता है। इस स्तर पर अन्यत्र किसी अपराध में अभियुक्त को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है क्योंकि आवश्यक तत्व व साक्ष्य मौजूद नहीं है ।

आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियो में **कुंवर सिंह निरंजन** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु बजरिये समन आहूत किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह दाखिल करें।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 15-04-2023 को पेश हो।

(राशि तोमर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात।
ID NO.UP2540

Digitally signed by RASHI TOMAR
Date: 2023.03.17 16:00:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court